न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—9/2022 (2022/17) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. नारायणी पुत्री उदा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पिता उदा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लेहरू पिता जैराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुड़ा पिता उदा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजु पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागु पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुखा पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुकेश पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुरेश पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मेवा पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. छग्गु पिता लखमा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बालु पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सुवा पिता कालु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद— प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 22.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सगेरव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1878 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2275 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 4653/2259 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है0 भूमि अन्य आराजियात [illegible] खाता संख्या 819 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल ज[illegible] प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के [illegible] तरफ [illegible] के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, [illegible] घास आदि काटने, [illegible]वेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:32 IST
Reason: SelfAttested

कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 05.12.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.01.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 11 फॉरमल पक्षकार है वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगेरव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1878 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2275 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 4653 / 2259 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 819 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / –रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.03.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2022.04.11 13:21:32 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—9/2022 (2022/17) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. नारायणी पुत्री उदा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पिता उदा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लेहरू पिता जैराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुड़ा पिता उदा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजु पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागु पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुखा पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुकेश पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुरेश पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मेवा पिता उदयराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. छग्गु पिता लखमा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बालु पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सुवा पिता कालु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्</u>

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 22.03.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगेरव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1878 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2275 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 4653/2259 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 819 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बि[illegible] नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौ[illegible]स्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.03.2022 [illegible] हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा